ACE/24-25/210 19/3/2025

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ 9 (4) छात्रवृति/शै.स. 2024-25/2024 /20238 दिनांक : 17-3-2025

संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/
सहायक निदेशक/जि.प.एवं.स.क.अधिकारी,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
समस्त..................................

विषय : उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत मार्गदर्शन प्रदान करने के संबंध में ।

विभाग द्वारा संचालित छात्रवृति योजनान्त्तर्गत छात्रवृति आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु जिला कार्यालयों द्वारा निम्न बिन्दुओं पर मार्गदर्शन चाहा गया था। उक्त बिन्दुओं के संबंध में निम्नानुसार मार्गदर्शन जारी कर निर्देशित किया जाता है कि दिये गये मार्गदर्शन के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2024-25 के आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें :-

क्र.सं.	बिन्दु	मार्गदर्शन
1	सत्र 2024-25 के आवेदनों में परीक्षा परिणाम के बाद विश्वविद्यालय द्वारा अंकतालिका देरी से वितरित की जाती है जिस कारण विद्यार्थी अपने छात्रवृत्ति आवेदनों में संबंधित परिणाम वेबसाईट से प्राप्त अंकतालिका की कम्प्युटर प्रति अपलोड करते हैं । इस कारण जिला कार्यालयों द्वारा विद्यार्थियों के छात्रवृति आवेदन पत्र में आक्षेप किया जा रहा है।	जिन पाठ्यक्रमों में परीक्षा परिणाम घोषित हो गया है किन्तु मूल अंकतालिकाएं विद्यार्थी को नहीं मिली हैं। ऐसे प्रकरण में शिक्षण संस्थान के संस्था प्रधान से प्रमाणित ऑनलाईन अपलोड अंकतालिका को मान्य किया जावे ।
2	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदनों के लिए FIFO (first in first out) की व्यवस्था की गई है लेकिन जिले में अनुसूचित जाति वर्ग आवेदन अधिक संख्या में प्राप्त हो रहे हैं जिला स्तर एवं वेरिफायर स्तर पर आवेदनों के निस्तारण हेतु 50 आवेदनों तक FIFO (first in first out) व्यवस्था हटाई जाये। जिससे आवेदनों के निस्तारण तेज गति से कर सके।	छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्रथम दस आवेदन पत्र पर FIFO (first in first out) व्यवस्था विलोपित की जाती है ताकि एक योजना में दो कार्मिक कार्य कर सके।

Signature valid

Digitally signed by Hari Mohan Meena
Designation: Director
Date: 2025.03.17 14:37:05 IST
Reason: Approved

(हरि मोहन मीना)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No.: 14182375

NBI/NBI Apr
Praveen Baghel
18.3.25

क्रमांक : एफ 9 (4) छात्रवृति/शै.स. 2024-25/2024/20273-80 दिनांक : 17-3-2025

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्या सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
3. जिला कलेक्टर, समस्त।
4. कोषाधिकारी, समस्त।
5. अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृति), मुख्यावास।
6. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), मुख्यावास से छात्रवृति पोर्टल पर वांछित प्रावधान करने हेतु।
7. उपनिदेशक (छात्रवृति), मुख्यावास।
8. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

Signature valid
Digitally signed by Hari Mohan Meena
Designation : Director
Date: 2025.03.17 14:37:05 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14182375